ISSN : 0975-3664 UGC : 41386 RNI : U.P.BIL/2012/43696

Year : 2019 Month : DECEMBER Vol. : 4

शोध - धारा

SHODH-DHARA

A Quarterly Research Journal of Humanities & Social Science
A Peer Reviewed &
International Indexed Journal

Impact Factor : 4.017 (ISRA)

शैक्षिक एवम् अनुसंधान संस्थान, उरई-जालौन (उ०प्र०) द्वारा प्रकाशित
Published by Shakshik Avam Anusandhan Sansthan
Orai (Jalaun) U.P.

ISSN : 0975-3664, RNI : U.P.BIL/2012/43696, UGC No. : 41386
SHODH-DHARA ; DEC 2019; Vol. 4; P. 186-192

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात भ्रष्टाचार के विविध स्वरूप एवं आयाम

डॉ० मो० शारिक

असि०प्रो०, शारीरिक शिक्षा विभाग, ख्वाजा मुईनुद्दीन चिश्ती उर्दू, अरबी–फारसी विश्वविद्यालय, **लखनऊ, उ०प्र०**

(प्राप्त : १७ जुलाई २०१६)

Abstract

भ्रष्टाचार आज भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है तथा हमारे भविष्य के लिए अत्यन्त खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वस्तुतः यह प्रव त्ति स्वयं लोकतन्त्र के लिए भी खतरनाक है। जो प्रशासनिक अधिकारी एवं राजनीतिज्ञ स्वयं लोकतन्त्रिक प्रक्रिया का पालन नहीं करते, वे देश में लोकतन्त्र के प्रति जितना प्रतिबद्ध हो सकते हैं, कहे बिना ही स्पष्ट हैं।

Figure : 00 **References : 09** **Table : 00**

Key Words : भ्रष्टाचार, भ्रष्टाचार और समाज, भ्रष्टाचार से बचाव

प्रस्तावना

भ्रष्टाचार का शाब्दिक अर्थ है प्रशासन में व्याप्त भ्रष्ट–आचरण। समाज और शासन की व्यवस्था को सुव्यवस्थित ढ़ंग से संचालित करने के लिए सार्वजनिक हित में व्यवहार के कुछ आदर्श प्रतिमान सुस्थापित हैं। उनसे नैतिकता, कर्तव्यनिष्ठा, पद एवं सत्ता का सदुपयोग मुख्य रूप से सन्निहित किए जा सकते है। ये प्रतिमान स्वस्थ समाज की परम्पराओं पर आधारित है। सामाजिक व्यवस्था की सुद्धढ़ता इन पर ही निर्भर है। ये प्रतिमान ही नैतिक आदर्शों के प्रतिरूप माने जाते हैं। इनका पालन ही नैतिक आचार अथवा सदाचार है तथा इनका उल्लंघन भ्रष्टाचार है। कहने का तात्पर्य यह है कि इन सुस्थापित तथा मान्य नैतिक आदर्शों के विपरीत किए जाने वाले व्यवहार भ्रष्टाचार के द्योतक हैं।[1]

कन्साइस ऑक्सफोर्ड शब्दकोश कहता है–"रिश्वत अथवा अवैधानिक और अनुपयुक्त साधनों से गलत या अनैतिक कार्य की ओर उन्मुरव होना, तथा सही और नैतिक कार्यों से विरक्त होना भ्रष्टाचार है।"

उपर्युक्त उद्धरण में जहाँ भ्रष्टाचार को अनैतिकता से जोड़ा गया है, वहाँ अनैतिकता भ्रष्टाचार का पर्याय बन चुकी है। इसलिए भ्रष्टाचार को सही अर्थों में समझने के लिए नैतिकता को समझना अनिवार्य प्रतीत होता है। नैतिकता का शाब्दिक अर्थ वैचारिक निर्धारण और निर्धारित कर्तव्यों का समुचित पालन करते हुए अपने अधिकारों का उचित उपयोग है। नैतिकता पर अर्नेस्ट हेमिंग्वे का वक्तव्य "जिस काम को करने के बाद आप सुखद अनुभव करें वह नैतिक, और जिसे करने के बाद आप बुरा महसूस करते हैं, वह अनैतिक है" उल्लेखनीय है।[2]

यहाँ पर हेमिंग्वे का 'सुख' सम्बन्धी कथन भौतिक सुख नहीं बल्कि आत्मिक सुख को प्रतिध्वनित करता है। यह आत्मिक सुख स्वहित नहीं, बल्कि परहित एवं सार्वजनिक हित सम्बन्धी कार्यों को सम्पन्न करके ही प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात् वह व्यवहार जो सार्वजनिक हित में हो, स्वहित का पोषक न हो तथा सुस्थापित मान्यताओं के अनुकूल हो, सदाचार के रूप में माना जाएगा। इसके विपरीत ऐसा

व्यवहार जो स्वहित का पोषक हो, सार्वजनिक हित का विरोधी हो, लोगों को कष्ट देने वाला हो एवं सुस्थापित मान्यताओं का उल्लंघन करता हो, भ्रष्टाचार संरक्षण (जो साम्प्रदायिकतावाद, जातिवाद, भाई–भतीजावाद एवं पक्षपात पर आधारित होता है) एवं अनुचित प्रभावों के रूपों में अभिव्यक्त होता है। इस सन्दर्भ में उत्तरप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉ० सम्पूर्णानन्द ने यह ठीक ही कहा है –

"प्रशासकीय कार्य के सम्पादक में एक के द्वारा दूसरे को धन देना ही सच्चरित्रता के अभाव को अभिव्यक्त करने वाला एक मात्र रूप नहीं है। यह अनेक रूप धारण कर सकता है, जो किसी भी प्रकार कम निन्दनीय नहीं होता। उदाहरण के लिए, संरक्षण द्वारा एक व्यापक क्षेत्र का निर्माण किया जा सकता है, जो दायित्वों तथा त्रुटियों की द ष्टि से घातक बुराई का स्रोत सिद्ध हो सकता है। जिसे हम बुरा समझते हैं उसके प्रति आँखे मूँद लेना, अपराधी को अनैतिक कार्यों की छूट देना और उसके दुष्क त्यों के लिए उसे दण्ड से बचने देना, पद–श्रंखला में किसी दोषी पदाधिकारी के स्थान पर उसके किसी अधीनस्थ को बलि का बकरा बनाना, गलत सूचना देना या किसी महत्वूपर्ण सूचना या तथ्यों को प्रस्तुत न करके उन्हें पूरी तरह या आंशिक रूप से दबाना और तथ्यों को जानबूझकर गलत निर्णय हेतु प्रस्तुत करना।"[३]

सामान्य व्यवहार में, भ्रष्टाचार को निजी आर्थिक हित हेतु सरकारी पद के दुरूपयोग के रूप में देखा जाता है। पद का दुरूपयोग कर आर्थिक लाभ प्राप्त करने को ही भ्रष्टाचार माना जाता है, क्योंकि यह बहुत स्पष्ट दिखाई देता है तथा उसमें आम आदमी का जीवन शीघ्र प्रभावित होता है। इस तरह वे मन्त्री, अधिकारी या सरकारी कर्मचारी भ्रष्ट हैं जो अपनी सरकारी स्थिति का लाभ उठाकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुए अनुचित अर्थोपार्जन करते हैं। अतएव, उपरोक्त सन्दर्भ में भ्रष्टाचार की एक सामान्य सी परिभाषा इस प्रकार दी जा सकती है–"किसी सार्वजनिक पद पर आसीन किसी व्यक्ति (राजनेता अथवा सरकारी) द्वारा अपने निजी आर्थिक हितों की पूर्ति के लिए सत्ता का दुरूपयोग करना प्रशासनिक भ्रष्टाचार कहा जाता है।"

भ्रष्टाचार, विशेष रूप से प्रशासनिक भ्रष्टाचार चर्चा और आन्दोलनों का एक प्रमुख विषय रहा है। आजादी के एक दशक बाद से ही भारत भ्रष्टाचार के दलदल में धंसा नजर आने लगा था और उस समय संसद में इस बात पर बहस भी होती थी। २१ दिसम्बर, १९६३ को भारत में भ्रष्टाचार के खात्मे पर संसद में हुई बहस में डॉ० राममनोहर लोहिया ने जो भाषण दिया था वह आज भी प्रासंगिक है। उस समय डॉ० लोहिया ने कहा था सिंहासन और व्यापार के बीच सम्बन्ध भारत में जितना दूषित, भ्रष्ट और बेईमान हो गया है उतना दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं हुआ था।[४]

राजनीतिज्ञों अथवा राजनेताओं की कथनी और करनी के जमीन–आसमान वाले अन्तर सदियों से जग जाहिर रहे हैं। पर प्रशासनिक भ्रष्टाचार के लुभावने और लाभकारी मुद्दे पर यह अन्तर नित नये झण्डे गाड़ रहा है। दिन–प्रतिदिन नये घोटालों और उनमें राजनेताओं तथा नौकरशाहों की कथित भूमिका के पर्दाफार्श होने के चलते भ्रष्टाचार हटाने, भ्रष्टाचार मिटाने के संकल्पों में न सिर्फ दिन–दूनी रात चौगुनी गति से इजाफा हुआ है बल्कि इनका ढिढोरा भी नित नयी गर्मजोशी और ऊँचे, तीखे स्वरों में पीटा जा रहा है। पर काम दरअसल ठीक उल्टा हो रहा है। अर्थात् जहाँ बात भ्रष्टाचार मिटाओ की हो रही है, वहाँ काम भ्रष्ट बचाओ का सर्वोपरि है।

भ्रष्टाचार आज भारतीय समाज के लिए एक अभिशाप बन गया है तथा यह हमारे भविष्य के लिए

अत्यन्त खतरनाक सिद्ध हो सकता है। वर्तमान राजनीतिक परिद श्य में कोई भी दूध का धुला नहीं। हर कोई इस डर से भयक्रान्त है कि आज अगर 'क' के पकड़े जाने की बारी है तो कल हमारा नम्बर भी आ सकता है और इसी एक भय ने दलगत व्यक्तिगत सीमाओं को तोड़ कम से कम भ्रष्टाचार विशेषकर भ्रष्टाचारी को बचाने के लिए मुद्दे पर सभी को एकजुट कर दिया है। चोर–चोर मौसेरे भाई की कहावत वैसे भी पुरानी है।

जब–जब भ्रष्टाचार से मुकाबला करने की बात आई है, लोग अपने आस–पास एक ऐसे समाज की कल्पना करने लगते हैं कि वे अपने कामों के लिए जिस विभाग में भी जा रहे हैं, वहाँ बिना रिश्वत के काम हो रहा है और पूरी प्रशासनिक व्यवस्था जनपक्षीय हो गई है। इस बात पर चर्चा करने से पहले व्यावहारिक होकर जनता की उन समस्याओं से रूबरू होना पड़ेगा जिसे लोग रोज झेलते हैं। आम आदमी मुख्यतः भोजन, वस्त्र, आवास और शिक्षा के साथ–साथ स्वास्थ्य की सुविधा चाहता है। आज भी हमारे संविधान में अनेक ऐसी बाते हैं जिनसे जनता सीधे जुड़ी है और अगर संविधान में प्राप्त अधिकार ही जनता को दिला दिये जाएं तो देश में क्रान्ति हो जाएगी, पर ऐसा नहीं हो पाता। आजादी के ७० वर्षों में पहली बार विगत कुछ समय पूर्व देश के सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याविकाओं पर कुछ ऐसे फैसले सुनाए कि लोगों को अचानक ही यह महसूस होने लगा कि कानून की नजर में कोई छोटा बड़ा नहीं है। पहली बार लोगों ने यह माना कि जनता चाहे किसी भी सत्तारूढ़ सरकार के विरूद्ध भी भ्रष्टाचार का मामला तैयार और दर्ज कर सकती है।

राजनीतिक परिद श्य में देखा जाए तो भारत में राजनीति का एकमात्र उद्देश्य गद्दी हथियाना और सत्ता का इस्तेमान नाजायज तरीके से धन अर्जित करने के लिए हो गया है। इस राजनीति का दूसरा पहलू है आम जनता के लिए बढ़ती बेरोजगारी, दरिद्रता और अमानवीय जीवन जीने की मजबूरी। सारी व्यवस्था मुट्ठी भर सम्पन्न लोगों, भ्रष्ट नेताओं और चोटी के नौकरशाहों की सुख–सुविधा के लिए बनी प्रतीत होती है।

आजादी की लड़ाई के काल में राजनीति एक मिशन था, राष्ट्रीय गौरव की प्रतिष्ठा का। लेकिन समय के साथ सत्ता सुविधा की राजनीति के दबाव में मूल्यों का क्षरण होता गया। सत्ताधारी दल में मूल्यों की तेज गिरावट और सत्ता को निजी सुविधा का साधन बनाने की प्रव त्ति का प्रभाव विरोधी राजनीतिक जमातों पर भी पड़ा। सत्तारूढ़ दल ने समाजवाद का नारा अपना कर और जब जरूरत हुई, पुनरूत्थानवादियों–सा तेवर अपना कर वैचारिक विभाजन की रेखा को भी धूमिल कर दिया। अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर समाजवादी कही जाने वाली व्यवस्थाओं की विक तियों और समाजवाद को ठोस रूप में पुनर्परिभाषित करने की अक्षमता ने समाजवाद को एक खोखले नारे का रूप दे दिया। नारे सिर्फ वोट बटोरने का साधन रह गये। इससे झूठ और धोखाधड़ी राजनीति का आधार बनने लगा। हमारा संविधान भारत को धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी जनतंत्र घोषित करता है। लेकिन यह समाजवादी जनतंत्र एक ऐसी अर्थनीति लेकर चल रहा है जो देश के विकास को पूरी तरह देशी और विदेशी पूँजीपतियों की मर्जी पर छोड़ देती है।

प्रश्न यह नहीं है कि से नीतियाँ गलत हैं या सही/सही प्रश्न यह है कि इस तरह के झूठ के आधार पर खड़ी की गई कोई सामाजिक व्यवस्था राजनीति या समाज में फैले भ्रष्टाचार पर रोक लगा

सकती है क्या? स्पष्ट है कि देश को वर्तमान दलदल से निकालने के लिए राजनीति में कुछ मानकों और नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा जरूरी है। इसके लिए व्यक्तिगत आचरण और सामाजिक लक्ष्य दोनों में मूलभूत परिवर्तन की आवश्यकता है क्योंकि दोनों एक–दूसरे से घनिष्ठता से जुड़े हैं। वस्तुतः इस समय राजनीतिक भ्रष्टाचार व्यक्तिबद्ध कम और व्यवस्थाबद्ध अधिक है। भारत में लोकतांत्रिक पद्धति का विकास जिस विसंगत सामाजिक ढांचे में हुआ है, राजनीतिक भ्रष्टाचार उसकी अनिवार्य परिणति है। लोकतंत्र में चुनावी जीत सत्ता का प्रमुख अंग होती है और इस जीत के उपादान व्यावहारिक राजनीति में आदर्श नहीं होते। राजनेता अपनी जीत सुनिश्चित करने के लिए और विशेष तौर पर उस समाज में जो बेहद अशिक्षित हो, बेहद निर्धन हो, हर वह हथकण्डा अपनाता है जो उसकी और उसकी टोली को अधिकाधिक मत दिला दे और, मत प्राप्त करने की यह प्रतिक्रिया जीत के बाद सत्ता में बने रहने की प्रक्रिया, ये दोनों ही अधिकाधिक धन की माँग करती है। जाहिर है कि यह धन किसी न्याय या कानून–सम्मत तरीके से उपलब्ध नहीं किया जा सकता। जो साधन अपनाये जाते हैं वे सब के सब गैरकानूनी होते हैं। गैर–कानूनी ढंग से अर्जित धन पूरी राजनीतिक प्रणाली का संचालन करता है। जब सत्ता और राजनीति के संचालन में अवैध धन की व्यक्ति हो जाती है तो उसी में से राजनेता व्यक्तिगत तौर पर सिर्फ 'अपने लिए' भी धन खींचने लगते हैं। इसलिए अब जरूरत यह है कि राजनीतिक भ्रष्टाचार को व्यक्ति से जोड़कर नहीं, बल्कि विधान और व्यवस्था से जोड़कर देखा जाए तभी कोई वास्तविक समाधान पाया जा सकता है। राजनेताओं के जेल जाने से कोई अधिक अन्तर नहीं आएगा।

भ्रष्टाचार के हमारी व्यवस्था के रग–रग में फैले होने के खतरे इसके विश्वव्यापी प्रसार से कम नहीं होते हैं। उलटे ऐसी स्थिति में यह गिरावट राष्ट्र की सुरक्षा और अस्तित्व के लिए भी खतरा बन गई है। न केवल सामरिक और कूटनीतिक मामलों और विदेशी एजेन्सियां पैसे देकर इन बिकाऊ राजनेताओं को अपनी शर्तें मनवा सकती है, बल्कि देश की आर्थिक शक्ति और क्षमता को भी व्यावसायिक लेन–देन की राष्ट्रहित विरोधी शर्तों द्वारा हानि पहुँचा सकते हैं। खुली आर्थिक नीति, सीमा शुल्क में लगातार कमी, विश्व व्यापार संगठन के समझौते पर रजामंदी, विदेशी प्रत्यक्ष और शेयर बाजार में निवेश की आजादी बढ़ने के साथ–साथ हमारे यहाँ उच्चतम स्तर तक गबन, घोटालों और घूसखोरी की दुर्घटनाओं की बाढ़ सी आ गयी है।

वास्तव में इस तरह भ्रष्टाचार को एक विश्वव्यापी घटना या प्रव त्ति के रूप में पेश करके भ्रष्टाचार की लड़ाई को कोई तीखे, तेज विरोधी तेवर नहीं दिये जाते हैं, बल्कि आम लोगों में एक भ्रम–सा उत्पन्न कर दिया जाता है कि यह तो एक सहज मानवीय कमजोरी है और कोई भी इससे अछूता नहीं रह गया है। एक व्यवस्थागत ढांचागत समस्या को मानवीय स्वभाव की नींव पर खड़े कर इस भ्रष्ट आचरण की स्वाभाविकता का कवच पहना दिया जाता है। व्यावसायिक लेन–देन के आधार पर बनाये गए सूचकांक कुछ इस तरह पेश किए जाते हैं मानो वे उस देश के सभी नागरिकों के व्यवहार, चरित्र और नैतिक मूल्यों को प्रकट करते हैं, उन पर लगे दागों को उभारते हैं।[५]

भ्रष्टाचार के विश्वव्यापी रूप से एक दूसरी बात भी उभरकर आती है। पता नहीं कैसे आज भूमण्डलीकरण को बिना इसके मायने और मकसद की तहकीकात किये इस तरह आँख मूँदकर स्वीकार कर लिया गया है। विज्ञान, औद्योगीकरण, अधुनातन तकनीकें, आर्थिक सम्बन्धों के आधार पर लोगों के

आर्थिक–सामाजिक जीवन का सुदूर देशों के साथ जुड़ाव आदि भूमंडलीकरण के वे पहलू हैं जो आंशिक रहे हैं। कुछ देशों के कुछ तबके अपने बहुमुखी रिश्तों के द्वारा आपस में निकट सम्पर्क में आये हैं पर अधिकांश लोग तो अपने देश की सीमा में ही एक सीमित दायरे में घुट रहे हैं, भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया की इन तमाम नियामतों से वंचित तथा उनका खामियाजा भुगतते हुए। पर दो ऐसे मसले हैं जिनमें यह भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया चरम सीमा तक पहुँच चुकी ह। ये दो पहलू हैं–पर्यावरण का प्रदूषण तथा भ्रष्टाचार द्वारा आर्थिक–राजनीतिक–सांस्क तिक जीवन का प्रदूषण। इस तरह भूमण्डलीकरण की प्रक्रिया के सकारात्मक पहलू तो सब लोगों तक लाभ पहुँचाने के द ष्टिकोण से नहीं पनप पाये, परन्तु दो नकारात्मक पहलू भ्रष्टाचार तथा प्रदूषण महलों से झोपड़ियों के भेद को भुलाते हुए चहुँदिशा में अपनी दुंदुभि बजाते फैल गए हैं। यह भूमण्डलीकरण इस राजरोग की गम्भीरता की ओर इशारा करता है न कि इसकी व्यापकता के कारण इसको स्वीकार करने और सहने का कोई आधार बनता है।अतः आज आवश्यकता इस बात की है कि व्यवस्थागत त्रुटियों एवं कमजोरियों का पता लगाया जाए, उन्हें दूर किया जाए एवं शासन की स्वस्थ मान्यताओं एवं परम्पराओं के अनुकूल उनके स्वरूप की पुनर्स्थापना की जाए।

भ्रष्टाचार के उन्मूलन के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं, जिनसे जन सेवाओं में फैले भ्रष्टाचार को कम करने में सहायता मिलेगी–

१. नागरिक सेवा घोषणा पत्र - यह प्रशासन की जनता के प्रति एक वचनबद्धता है कि प्रशासन किस–किस जनसेवा को बिना किसी भ्रष्टाचार के कैसे जनता तक पहुँचाएगा? नागरिक सेवा घोषणा पत्र तैयार करते समय निम्न बातों का विशेष ध्यान रखा जाना सकारात्मक परिणाम दे सकता है –

(क) सेवा प्रदाताओं को ध्यान रखना चाहिए कि वे जन सेवक हैं।

(ख) नागरिक सेवा घोषणा पत्र बनाते समय जन सेवा प्राप्त करने वालों से राय ली जानी चाहिए, जिससे वांछित सेवाएं एवं उनकी गुणवत्ता का उनकी आवश्यकताओं के अनुसार उल्लेख किया जा सके।

(ग) भ्रष्टाचार निवारण हेतु नागरिक सेवा घोषणा पत्र 'कहाँ जायें और कैसे सेवा प्राप्त करें' के आधार पर बनाया जाना चाहिए। इन सेवा घोषणा पत्रों में सम्बन्धित विभागों द्वारा प्रदत्त उन सभी सेवाओं का उल्लेख होना चाहिए, जिनके लिए नागरिक वहाँ आते हैं। इस आधार पर, यदि किसी सेवा प्रदाता के एक से अधिक कार्यालय हैं, जो विभिन्न सेवाएँ प्रदान करते हैं, तो उन सभी कार्यालयों के नागरिक सेवा घोषणापत्र अलग–अलग होने चाहिए। उदाहरण के लिए, शिक्षा विभाग के घोषणापत्रों में विद्यालय, जिला कार्यालय, क्षेत्रीय कार्यालय एवं निदेशालय के घोषणापत्र अलग–अलग होने चाहिए।

(घ) प्रत्येक सेवा के आगे लिखा होना चाहिए कि उल्लिखित सेवा विशेष को प्राप्त करने के लिए किन–किन अभिलेखों व प्रारूपों की आवश्यकता होगी और कितना समय लगेगा।

(ङ) यदि वांछित सेवाएँ वचनानुसार नहीं दी गई तो सेवा प्रदाताओं को उनकी क्षतिपूर्ति स्वयं करनी चाहिए।

(च) सभी जन सेवाओं का कम्प्यूटरीकरण होना चाहिए।

(छ) रेलवे व पासपोर्ट की भाँति अन्य सेवाओं में 'तत्काल सेवा' का भी प्रावधान होना चाहिए ताकि दलालों, बिचौलियों आदि के प्रभाव को समाप्त किया जा सके।

(ज) प्रत्येक सेवा से सम्बन्धित सभी सूचनाएँ स्पष्ट एवं सरल भाषा में प्रत्येक कार्यालय के बाहर इस प्रकार प्रदर्शित करनी चाहिए कि आने–जाने वाले सभी व्यक्ति उससे लाभान्वित हों।

(झ) घोषणा पत्र इस प्रकार हो कि आम आदमी को सभी सेवाओं की शर्तो को समझने में आसानी हो।[६]

२. **सूचना पाने का अधिकार-** लोकतंत्र में सरकार 'लोक का तंत्र' होती है। लोग ही सरकार चलाने के लिए टैक्स देते हैं इसीलिए उन्हें अपने या जनाहित से जुड़ी कोई भी सूचना पाने का अधिकार है। यह अधिकार 'भागीदारी, पारदर्शिता, एवं प्रशासनिक जवाबदेही' पर आधारित है। यह मूल अधिकारों में से एक महत्वपूर्ण अधिकार है। यह आम नागरिक को सशक्त बनाता है, जिससे वह जन सेवा विशेष को सुलभतापूर्वक प्राप्त कर सके। यदि उनको इसमें कोई कठिनाई आती है या जन सेवा प्रदाताओं के प्रति शिकायत है तो वह इस अधिकार के अंतर्गत उसका निवारण कर सकता है। इसके अन्तर्गत 'सुनवाई का अधिकार' एवं 'उपभोक्ता शिक्षा' दोनों ही आते हैं। सूचना पाने के अधिकार के अन्तर्गत किसी भी जनसेवक के अवांछनीय व्यवहार पर प्रश्न उठाकर उसको उत्तरदायी बनाया जा सकता है।[७]

३. **ई-प्रशासन-** सामान्यतः भ्रष्टाचार तभी फैलता है जब जनता का सामना सेवा प्रदाता से होता है। इन परिस्थितियों से बचने के लिए ई–प्रशासनिक पद्धति का सहारा लेना अत्यन्त उपयोगी है। इसके अन्तर्गत नागरिक, व्यापारी एवं अन्य उपभोक्ता सरकारी सेवाओं का विश्वसनीय, सामयिक एवं पादर्शिता के साथ उपयोग कर सकते हैं। भारत सरकार ने ई–प्रशासन लागू करने की दिशा में कई महत्वपूर्ण कदम उठाये है तथा इसके लिए प्रयासरत भी है। तथापि ई–प्रशासन को प्रभावी बनाने के लिए कुछ सुझाव दिये जा सकते हैं।

(क) प्रत्येक विभाग को आवश्यक संख्या में कम्प्यूटर दिये जाए जो एक दूसरे से जुड़े हुए हों।

(ख) सभी सरकारी कर्मचारियों को कम्प्यूटर का प्रयोग करने के लिए प्रशिक्षित किया जाए।

(ग) कम्प्यूटर के प्रयोगार्थ, कार्यालय स्वप्रक्रिया सॉफ्टवेयर का प्रयोग उपयोगी होगा ताकि सभी पत्रों की प्राप्तियों, उनके भेजे जाने तथा पत्रावलियों की गतिविधियों का लेखा जोखा रखा जा सके।

(घ) सभी प्राप्तियों व भुगतानों के दिन–प्रतिदिन का लेखा–जोखा होना चाहिए।

(ङ) सरकारी आदेशों एवं सूचनाओं का ई–पत्रों द्वारा वितरण, आवेदन पत्रों तथा सरकारी प्रलेखों एवं सूचनापटल पर आदेशों आदि का कम्प्यूटर द्वारा प्रदर्शन किया जाए।[८]

(च) सभी विभागों द्वारा शिकायत निवारण साफ्टवेयर का प्रयोग एवं उनका सम्बन्धित बेवसाइट पर प्रदर्शन किया जाना चाहिए।

(छ) सभी विधेयक, नियमों, सूचनाओं आदि की इलेक्ट्रानिक रूप में उपलब्धता हो।

(ज) राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र को अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर विकसित करने चाहिए जिससे जनता को ई–प्रशासनिक सुविधाएँ अधिकाधिक प्राप्त हो सकें।

(झ) सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जनता को ई–प्रशासन के प्रयोग हेतु जागरूक बनाना। जनता जब तक अपने अधिकारों तथा प्रशासन के दायित्वों के प्रति जागरूक नही होगी तथा उसे यह नहीं ज्ञान होगा कि किस शिकायत को कहाँ दर्ज कराये तथा उसकी क्या प्रक्रिया होनी चाहिए, तब तक कोई भी पद्धति प्रशासन की पारदर्शिता को स्पष्ट करने में प्रभावी नही हो सकेगी। अतः ई–प्रशासन के सम्बन्ध में जनता की जागरूकता होना अनिवार्य है।[९]

सन्दर्भ

१. अरोड़ा, रमेश के०; और जैन आभा; प्रशासनिक परिवर्तन जयपुर, रावत पब्लिकेशन, २००८, प .६२
२. अवस्थी एवं अवस्थी; "भारतीय प्रशासन", आगरा : लक्ष्मी नारायण अग्रवाल, २०११, प .४४
३. फाडिया एवं फाडिया; "लोक प्रशासन, सिद्धान्त एवं व्यवहार", साहित्य भवन, आगरा, २०११, प .७२
४. चतुर्थ प्रतिवेदन, द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग (जनवरी, २००७) अभिशासन में नैतिकता। http://www.arc.gov.in /9threport/ARC-9th-report accessed on 8 January, २०२०.
५. शर्मा एवं सडाना; 'लोक प्रशासन', किताब महल, इलाहाबाद, २०१०, प .१०२
६. टण्डन, राजेश; मोहन्ती, रंजीता' डज़ सिविल सोसाइटी मैटर? सेज पब्लिकेशन, नई दिल्ली, २००३, प .१२
७. विट्ठल, नरहरि; 'भारत में भ्रष्टाचार', अंग्रेजी संस्मरण अकादमिक फाउण्डेशन नई दिल्ली, २००३, प .४४
८. http://www.indiankanoon.org /doc/1767124/accessed on 8 January, २०२०.
९. http://www.indianlawyers.wordpress.com /tag/prevention-of-corruption-act accessed on 8 January, २०२०.